

छठी अनुसूची
[धारा 70(1) देखिए]

| क्रम सं० | केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध | संशोधन | संशोधन के प्रभावी होने की तारीख |
|----------|---|--|---|
| 5 | (1) | (3) | (4) |
| 10 | अधिसूचना सं० सा०का०नि० 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 [31/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 जून, 2001] द्वारा प्रकाशित किए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 का नियम 6 । | केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— '(6) जहां 1 जुलाई, 2001 को प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है लंबित हैं, वहां उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित अंतःनिवेशों के सिवाय किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं तथा ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी, जो छूट प्राप्त माल हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे छूट प्राप्त माल या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय कर सकेगा : परंतु विनिर्माता नियत तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा । स्पष्टीकरण —इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, “नियत तारीख” से उस मास के जिसमें कारखाने से माल की निकासी की गई है, आगामी मास का 5वां दिन अभिप्रेत है ।’। | 1 जुलाई, 2001 से 28 फरवरी, 2002 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं)। |
| 15 | | | |
| 20 | | | |
| 25 | | | |
| 30 | | | |